IJAER/ March-April 2024/Volume-13/Issue-2 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) Impact Factor:7.06

आधुनिक युग में राजस्थान के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

Sunil sheoran
Research Scholar
Dr. K.N. Modi University, Newai, Rajasthan

Dr. Meena
Associate professor and Hod of Education
Dr. K.N. Modi University, Newai, Rajasthan

सार

बड़ी संख्या में ऐसे अध्ययन हुए हैं जिन्होंने बिना किसी संदेह के दिखाया है कि किसी भी समाज में महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए शिक्षा आवश्यक है। उच्च स्तर की शिक्षा वाली महिलाओं में समस्याओं से निपटने और दैनिक जीवन में जीवित रहने के लिए आत्म-आश्वासन की अधिक भावना होती है। इसका कारण यह है कि पूरे इतिहास में महिलाओं का शोषण होता रहा है। पुरुषों द्वारा नियंत्रित और लगातार पुरुषों के पक्ष में झुके समाज में पुरुष ही महिलाओं का फायदा उठाते हैं। महिलाओं के लिए उपलब्ध शैक्षिक अवसर पुरुषों के लिए उपलब्ध अवसरों की तुलना में नहीं हैं, और महिलाओं की शिक्षा को अक्सर कम करके आंका जाता है। समझ की कमी के कारण महिलाओं को उन कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं है जिनकी वे हकदार हैं। भारतीय समाज में महिलाओं का यौन शोषण एक प्रचलित प्रकार की आपराधिक गतिविधि है। इसके परिणामस्वरूप, समाज में महिलाओं का हमेशा शोषण होता रहा है और आधुनिक समय में भी यही स्थिति जारी है। महिलाओं के लिए उपलब्ध शैक्षिक विकल्पों की संख्या अभी भी काफी कम है, और विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित महिला छात्रों की संख्या पुरुष छात्रों की तुलना में है। लड़कों की तुलना में लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। वे कम उम्र में शादी करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं क्योंकि उनके पास कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं होती है। अब किए जा रहे अध्ययन का उद्देश्य पूरे राजस्थान में महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका निर्धारित करना है।

कीवर्ड:- बढ़ती, भागीदारी, महिला, आधुनिक

परिचय

बहुत लंबे समय से, महिलाएं एक ऐसा समूह रही हैं जो अभी तक अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाई है। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में पूर्ण गरीबी में रहने वाली आबादी का दो तिहाई से अधिक हिस्सा महिलाओं का है। इस तथ्य के बावजूद कि वे दुनिया के आधे से अधिक श्रम करती हैं, महिलाओं को काम के लिए पुरुषों की कमाई का केवल तीन-चौथाई ही मिलता है, जो कि बराबर है। महिलाएं जो काम करती हैं उसका केवल एक तिहाई हिस्सा ही मुआवजे के अधीन होता है, जबकि पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लगभग तीन चौथाई काम मुआवजे के अधीन होता है। उन्हें औपचारिक नौकरी और वित्तीय अवसरों तक पहुंच पाने में अधिक कठिनाई होती है। महिलाओं के अविकसित होने के प्राथमिक

योगदानकर्ताओं के रूप में कई कारकों पर प्रकाश डाला गया है। इन कारकों में दमनकारी सांस्कृतिक मानदंड और प्रथाएं, साथ ही लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकारों से इनकार का एक लंबा इतिहास शामिल है।

राजनीतिक संस्थानों में सत्तासीन महिलाओं की संख्या कम है। इस तथ्य के बावजूद कि वे दुनिया की आधी आबादी हैं, उनके पास विधायिका में केवल दस प्रतिशत सीटें और कैबिनेट पदों में छह प्रतिशत सीटें हैं। पुरुषों की सीमित भूमिका की धारणा, जो मानदंड स्थापित करती है और अनुपालन की आवश्यकता होती है, और महिलाओं की निम्न संसाधन बंदोबस्ती, जिसमें शिक्षा, अवकाश का समय, पैसा, नौकरी और सार्वजनिक जीवन के लिए बाहरी दुनिया से संबंध शामिल हैं, ऐसे कारक हैं जो इस घटना में योगदान करते हैं। राजनीतिक अन्याय एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें महिलाओं को अक्सर नेतृत्व और प्रशासन के पदों पर रहने से रोक दिया जाता है, और राजनीति को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखा जाता है जो विशेष रूप से पुरुषों के लिए आरक्षित है। ऐसी लोकतांत्रिक प्रणालियाँ हैं जो महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व की स्थिति में उनके विकास पर प्रभाव डालती हैं।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को निम्नलिखित पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत करना संभव है: राजवंश, पति-पत्नी, उच्च शिक्षा से जुड़ाव, प्रसिद्धि और सक्रियता। वे महिलाएँ जो पहले समूह में फिट होती हैं वे वे हैं जिनमें विकल्पों को प्रभावित करने की क्षमता है और वे जो राजनीति में इसलिए आई हैं क्योंकि उनके परिवार के सदस्य ऐसा कर चुके हैं। आधिकारिक राजनीति के क्षेत्र में, यह आम तौर पर ज्ञात है कि जो महिलाएं राजनीतिक संपर्क वाले परिवारों से आती हैं, उनके क्षेत्र में प्रवेश करने की अधिक संभावना होती है। इसके परिणामस्वरूप, वे प्रभावी ढंग से कार्य करने और अपनी शक्ति का औचित्य प्रदान करने में भी सक्षम होते हैं। राजनेताओं से शादी करने वाली महिलाओं को महिलाओं के दूसरे समूह में शामिल किया जाता है जिन्हें उस श्रेणी का सदस्य माना जाता है। वे अपनी पत्नियों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने में सक्षम हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचित होने पर सार्वजनिक क्षेत्र में उनका मजबूत आधार होगा। जिन महिलाओं ने अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर ली है और उनके पास पेशेवर डिग्री है, उन्हें तीसरे समूह का हिस्सा माना जाता है। उनके बीच कोई राजनीतिक पारिवारिक या ऐतिहासिक संबंध मौजूद नहीं है। यह उनकी अपनी साख और रुचि के क्षेत्रों के कारण ही है कि वे राजनीति में अपना करियर शुरू करते हैं। महिलाओं के मामले में, सेलिब्रिटी का दर्जा केवल एक अतिरिक्त प्रवेश बिंदु है। जानी-मानी अभिनेत्रियों को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रति उनके समर्थन के आधार पर सार्वजनिक पद के लिए चुना गया है। आख़िरकार, महिला कार्यकर्ताओं ने भी कुछ मुद्दों के समर्थन के लिए प्रसिद्ध होकर राजनीति में प्रवेश किया है।

महिलाओं को संविधान द्वारा अनिवार्य आधिकारिक संगठनों में भाग लेने की अनुमति किस हद तक उनके द्वारा प्रदर्शित राजनीतिक व्यवहार और हितों से सीधे तौर पर आनुपातिक होती है। महिलाओं की भागीदारी की पूरी समझ रखने के लिए, उन व्यवहारों और तंत्रों की समझ होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो इसे संभव बनाते हैं। संरक्षित सीटों और कोटा के परिणामस्वरूप नगरपालिका राजनीति में शामिल महिलाओं का प्रतिशत बढ़ गया है। महिलाओं की भागीदारी और संख्या बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रगति नहीं हो रही है। यह आवश्यक है कि प्रभावशीलता और प्रभाव के पहलुओं को शामिल किया जाए। यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि एक महिला की राजनीतिक प्रभावशीलता का मूल्यांकन महिलाओं के लिए प्रासंगिक मुद्दों

का प्रभावी ढंग से राजनीतिकरण करने और उन मुद्दों की जिम्मेदारी लेने के लिए अपनी "आवाज़" का उपयोग करने की क्षमता के आधार पर किया जा सकता है।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के विश्लेषण को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: पहुंच, उपस्थिति, और प्रभाव और प्रभाव। ऐसे प्लेटफार्मों का प्रावधान जहां महिलाएं प्रवचन में भाग ले सकें और अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकें, पहुंच का एक अनिवार्य घटक है। कई अलग-अलग तरीकों के माध्यम से, यह सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की निगरानी की प्रक्रिया में भागीदारी और परामर्श को बढ़ावा देता है। उनकी उपस्थिति के माध्यम से, जिसे उनकी संख्यात्मक उपस्थिति और उस उपस्थिति को निर्णयों पर प्रभाव में बदलने की उनकी क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है, निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को संस्थागत बनाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी उपस्थिति को उनकी उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। महिलाओं को राजनीतिक व्यवस्था, राज्य और नागरिक समाज में पूरी तरह से शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए, पहला कदम प्रभाव हासिल करना है। इससे महिलाओं को टी. की सुविधा मिलेगी अपनी उपस्थिति और पहुंच को उन नीतियों के डिज़ाइन पर वास्तविक प्रभाव में बदलें जो अधिक लिंग-उत्तरदायी हों।

कनाडा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र (आईडीआरसी) द्वारा 2006 में "लिंग अधिकार और विकेंद्रीकरण" विषय पर एक वैश्विक शोध कार्यक्रम शुरू किया गया था। उन्नति और राजस्थान में उसके सहयोगियों ने एक कार्य अध्ययन किया जिसमें चार जिले शामिल थे: जोधपुर, झुंझुनू, टोंक और बांसवाड़ा। इसी पहल के तहत यह अभ्यास किया गया.

उद्देश्य

1. राजस्थान में ब्लॉक/उप जिला स्तर पर महिला श्रमिक गतिविधियों की सीमा और प्रकार को समझना।
2. यह जांचना कि महिला श्रमिक किस प्रकार क्षेत्रीय रूप से विभिन्न व्यावसायिक समूहों में स्थानांतरित हो गई है।

महिलाओं के लिए विकेंद्रीकरण की उपयोगिता की जांच करना और यह निर्धारित करना था कि इसमें उन्हें सशक्त बनाने की क्षमता है या नहीं। अध्ययन का उद्देश्य उन सटीक कारकों की पहचान करना था जिन्होंने महिलाओं के लिए स्थानीय राजनीति में भाग लेना और अपने संबंधित समुदायों में राजनीतिक संस्थानों की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालना आसान या अधिक कठिन बना दिया है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के बारे में दो दृष्टिकोणों की जांच की गई है: प्रभाव और उपस्थिति। इस तथ्य के आलोक में कि संविधान निर्णय लेने के लिए मंचों तक पहुंच के अधिकार की गारंटी देता है, पहुंच पर ध्यान नहीं दिया गया। उपस्थिति का सूचकांक स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले निर्णय लेने वाले मंचों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी का उपयोग करके विकसित किया गया है। प्रभाव सूचकांक के उपयोग के माध्यम से, इन मंचों में भागीदारी के स्तर जो स्वयं शुरू किए गए थे और जो प्रस्तावों के नेतृत्व में थे, की जांच की गई। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को विधि के अनुसार पूरा किया गया है, और परिणामों का हिसाब-किताब किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य उन कई तरीकों का रिकॉर्ड संकलित करना था जिनके द्वारा महिलाएं सत्ता हासिल करती हैं और अपना अधिकार बनाए रखती हैं। एक अन्य पहलू जिसकी जांच की गई वह यह था कि उनके नेतृत्व पर जाति, राजनीति और पारिवारिक संस्कृति का प्रभाव था। निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, कई सिफारिशें प्रस्तावित की गई हैं। विनिर्माण एक आवश्यक घटक है जो सभ्यता के विकास में योगदान देता है। इस तथ्य के कारण कि महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों और पेशेवर जिम्मेदारियों दोनों के लिए जिम्मेदार हैं, उनके कार्यों का श्रम आपूर्ति में उपलब्ध श्रमिकों की कुल संख्या पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। भारत जैसे देश में कामकाजी महिलाओं के अनुपात को निर्धारित करने में सामाजिक और आर्थिक दोनों कारकों की भूमिका होती है। भारत में महिला भागीदारी को प्रभावित करने वाले कई संभावित तत्वों को पिछले कुछ वर्षों में कई अध्ययन प्रकाशनों द्वारा प्रतिपादित और पहचाना गया है। यह तथ्य कि शिक्षा और उनके घरों में रहने वाले बच्चों (पांच से कम) की संख्या का श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी पर हानिकारक प्रभाव पड़ा, इन अध्ययनों के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक था। दूसरी ओर, लिंगानुपात ने ग्रामीण और शहरी दोनों संदर्भों में भागीदारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि की। बर्धन के निष्कर्षों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जो महिलाएं निचली जातियों और जनजातियों से संबंधित हैं, उनके उच्च समूहों से संबंधित महिलाओं की तुलना में श्रम बल में भाग लेने की अधिक संभावना है।

जब सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र की वृद्धि और विकास दर निर्धारित करने की बात आती है, तो विचार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक श्रम बल भागीदारी की दर है। इसके अलावा, गरीबी उन्मूलन पर इसका काफी प्रभाव है। श्रम बल भागीदारी दर का विश्लेषण करके राष्ट्र की मानव संसाधन संरचना और श्रम आपूर्ति दोनों का निर्धारण करना संभव है। श्रम बल भागीदारी विश्लेषण एक उपकरण है जिसका उपयोग राज्य स्तर पर रोजगार और मानव संसाधनों के विकास से संबंधित नीतियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। दूसरी ओर, भारत में केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर, भारत में राज्य स्तर पर कोई विशेष एकाग्रता नहीं है। पश्चिम बंगाल में महिला श्रम भागीदारी और मजदूरी में लिंग भिन्नता पर उनके अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि महिलाओं को उन क्षेत्रों में रोजगार मिलने की अधिक संभावना है जहां महिला साक्षरता का स्तर कम है, उन क्षेत्रों की तुलना में जहां मुस्लिम आबादी का पर्याप्त संकेंद्रण है। लेखिका के "उत्तर प्रदेश में महिला कार्य भागीदारी: रुझान और निर्धारक" शीर्षक के अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, लेखिका को यह एहसास हुआ कि साक्षरता दर का ग्रामीण एफडब्ल्यूपीआर, लिंग अनुपात और अनुसूचित जाति की उपस्थिति के साथ नकारात्मक संबंध है।

राजस्थान में महिलाओं के रोजगार के व्यापक मुद्दों की जांच करने वाले अध्ययन काफी असामान्य हैं। राजस्थान राज्य में महिलाएँ कुल जनसंख्या का लगभग 48.14 प्रतिशत हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चित्र 1 के अनुसार, राजस्थान में श्रम शक्ति में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत 35.1% है। यह आंकड़ा पूरे देश के औसत से 9.6% अधिक है और यह सकारात्मक और विस्तारित दोनों दर से बढ़ रहा है। फिर भी, कुल मिलाकर छवि काफी निराशाजनक है, और हम श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी के पैटर्न में रुचि रखते हैं। जनगणना के अनुमान के मुताबिक, राजस्थान राज्य में कुल कार्यबल 29.9 मिलियन है, जिसमें 18.3 मिलियन पुरुष और सिर्फ 11.6 मिलियन महिलाएं हैं। इस तथ्य को सामने लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान राज्य में, 10.6 मिलियन महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं, जबकि केवल 0.98 मिलियन शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक या माध्यमिक श्रमिकों के रूप में काम कर रही हैं।

राजस्थान में कामकाजी महिलाओं की अच्छी-खासी संख्या है, जिनमें से 82 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 18 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में काम करती हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएँ कृषि श्रमिकों और कृषकों के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ उन्हें कम वेतन मिलता है और राज्य की जलवायु के कारण कठिन कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप, शहरी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन जो लोग वहां काम करते हैं उनके पास अक्सर घरेलू उद्योगों या अन्य व्यवसायों में रोजगार होता है जहां आय ग्रामीण महिलाओं को कृषि श्रमिकों के रूप में काम करने पर मिलने वाले वेतन से अधिक होती है। पिछले कई दशकों के दौरान दुनिया भर में महिला श्रम भागीदारी के पैटर्न और संरचना पर बहुत ध्यान दिया गया है। पिछले कई वर्षों में, भारतीय राज्य राजस्थान महिलाओं की भागीदारी की वास्तविक वास्तविकता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान साबित हुआ है, विशेष रूप से यह सवाल कि क्या कार्यबल में भाग लेने वाली महिलाओं की बढ़ती संख्या सशक्त है या नहीं।

राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक महिला श्रम भागीदारी की दरों में भिन्नता है। यह आवश्यक कारकों में से एक है. जब महानगरीय क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की तुलना की जाती है, तो यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि ग्रामीण महिलाएं कहीं अधिक उच्च दर पर संलग्न होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश महिलाएँ कृषि और कृषि से जुड़े अन्य व्यवसायों में कार्यरत हैं। यह उन्हें अनुमति देता है 0 अपने दोहरे दायित्वों को आसानी से पूरा करें, और उन्हें उस प्रकार की विशिष्ट शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है जो शहरी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को चाहिए होती है। इसके अलावा, जो महिला घर में सबसे बड़ी होती है वह अक्सर परिवार के छोटे सदस्यों के लिए जिम्मेदार होती है। दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में, ये सभी कारक एफडब्ल्यूपीआर में सुधार के लिए मिलकर काम करते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में, इसका उलटा होता है और एफडब्ल्यूपीआर को नीचे धकेल दिया जाता है। पिछले दस वर्षों के दौरान महिला किसानों की संख्या में 14.6 प्रतिशत अंक की कमी आई है, जबकि महिला कृषि श्रमिकों की संख्या में 8 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। राजस्थान राज्य में, पिछले दस वर्षों के दौरान घरेलू क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों के अनुपात में 0.3 प्रतिशत अंक की कमी आई है, जबकि अन्य महिला श्रमिकों के प्रतिशत में 6.7 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है।

ऐसे कई कारक हैं जो अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी की मात्रा को प्रभावित करते हैं। इस जांच के दौरान, सामाजिक-सांस्कृतिक, जनसांख्यिकीय और आर्थिक पहलुओं की तीन व्यापक श्रेणियों के संबंध में इनमें से कई चर की जांच की जाती है। राज्य में, महिलाओं की गतिविधि दर का पैटर्न और डिग्री विभिन्न आर्थिक विशेषताओं द्वारा नियंत्रित होती है जो श्रम की आपूर्ति और मांग को प्रभावित करती है। ये पैरामीटर श्रम की आपूर्ति और मांग से प्रभावित होते हैं। एक परिवार की वित्तीय ज़रूरतें एक ऐसा कारक है जो आपूर्ति निर्धारित करती है, जबकि महिलाओं के लिए नौकरी के अवसरों की उपलब्धता एक ऐसा कारक है जो मांग को बढ़ाती है। इस तथ्य के कारण कि कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में काम करने वाली अधिकांश महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चुने गए अधिकांश संकेतकों में कृषि पर जोर दिया गया है। चरों का चयन इस धारणा पर आधारित है कि समाज में महिलाओं की भागीदारी किस हद तक है, यह निर्धारित करने में सामाजिक-सांस्कृतिक, जनसांख्यिकीय और आर्थिक कारकों की भूमिका होती है। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि "कृषि कारकों में अंतर महिला गतिविधि दर में अंतर-क्षेत्रीय भिन्नताओं में दृढ़ता से निहित है।" महिला भागीदारी के अनुपात में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव का विश्लेषण उन कारकों के आलोक में किया जाना चाहिए जो परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। शहरी और

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों, खेतिहर मजदूरों, गृह उद्योग और अन्य गतिविधियों में महिला श्रमिकों का क्षेत्रीय वितरण यह निर्धारित करता है कि महिलाओं के लिए किस प्रकार का रोजगार उपलब्ध है और इस रोजगार का महिलाओं की कुल आर्थिक गतिविधि पर क्या प्रभाव पड़ता है।

जिन जनसांख्यिकीय चरों का चयन किया गया है उनमें पुरुषों और महिलाओं का अनुपात और छह वर्ष से कम आयु की जनसंख्या का अनुपात शामिल है। लिंगानुपात के कारण, किसी क्षेत्र में महिला श्रमिकों की उपलब्धता और इसलिए, उस क्षेत्र में महिला रोजगार की कुल मात्रा दोनों लिंगानुपात द्वारा नियंत्रित होती हैं। हम घर से बाहर महिलाओं के लिए उपलब्ध कैरियर के अवसरों पर बच्चों के प्रभाव की जांच करने के लिए छह वर्ष से कम आयु की आबादी का अनुपात चुनते हैं। जिन सामाजिक-सांस्कृतिक तत्वों पर विचार किया जाता है उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के व्यक्तियों का प्रतिशत और साथ ही महिलाओं की साक्षरता दर शामिल है। साक्षरता सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक तत्वों में से एक है जो महिलाओं के लिए लाभकारी नौकरियों की संख्या और उनके व्यवसायों को निर्धारित करने में भूमिका निभाती है। ऐसा माना जाता है कि साक्षरता का उच्च स्तर महिला रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव डालता है क्योंकि वे जो काम करती हैं उसके प्रति महिलाओं की उम्मीदें बढ़ जाती हैं।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्राचीन इतिहास में बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के दौरान घूंघट (पर्दा प्रथा) में रहने तक, भारत में महिलाओं की स्थिति में इसके इतिहास के दौरान काफी उतार-चढ़ाव आए हैं। भारत की आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और यह प्रवृत्ति देश को आजादी मिलने के बाद से ही कायम है। देश को आजादी मिलने के बाद से ही भारत में महिलाएं व्यावहारिक रूप से हर तरह की आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं, जिसमें रोजमर्रा के काम, बेहतर शासन के लिए मतदान और राजनीति में सक्रिय भागीदारी शामिल है। भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी को उनके संबंधित पदों के लिए चुना गया है। वर्तमान भारतीय संघीय सरकार के भीतर, महिलाएं कैबिनेट का लगभग पच्चीस प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं, जिसमें वाणिज्य, मानव संसाधन विकास और अंतर्राष्ट्रीय मामले जैसे मंत्रालय शामिल हैं। भारत की स्थानीय स्तर की राजनीति में महिलाओं के लिए विशेष रूप से सीटें निर्धारित करने से देश के लिए राजनीतिक पदों पर महिलाओं का एक बड़ा अनुपात रखना संभव हो गया है।

अनुसंधान क्रियाविधि

वर्तमान अध्ययन उम्मेदनगर गांव में आयोजित किया गया था, जो जोधपुर जिले में मंडोर तहसील (प्रशासनिक इकाई) में स्थित है। यह गांव पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में स्थित है। कुछ बिखरी हुई बस्तियों को छोड़कर, जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग से पीने के पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई थी, गाँव की अधिकांश महत्वपूर्ण सामुदायिक सुविधाएँ निवासियों के लिए उपलब्ध थीं। वहाँ कुछ सिंचित कुएँ थे जहाँ गेहूं, सरसों और जीरा सहित रबी (सर्दियों के मौसम) की फसलें, साथ ही गोभी, प्याज, लहसुन और गाजर जैसी कुछ सब्जियाँ सीमित मात्रा में उगाई जाती थीं। इस क्षेत्र का उपयोग अधिकतर एक ही फसल की खेती के लिए किया जाता था, और कुछ सिंचित कुएं भी थे। CAZRI, जोधपुर द्वारा प्रायोजित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रयास में भाग लेने के लिए, समुदाय को विशेष रूप से चुना गया था। पचास कृषक

परिवारों का चयन एक स्तरीकृत यादृच्छिक चयन पद्धति के उपयोग के माध्यम से किया गया था। ये परिवार विभिन्न प्रकार की जातियों, भूमि स्वामित्व की श्रेणियों और विभिन्न समूहों (बस्तियों) के प्रतिनिधि थे। डेटा एक साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग करके एकत्र किया गया था जिसे विशेष रूप से अध्ययन की आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन और अद्यतन किया गया था।

परिणाम और चर्चा

किसानों के रूप में, महिलाएं अक्सर अपने काम को समग्रता के रूप में देखती हैं, जो एक फसल के रोपण से शुरू होता है और तब तक जारी रहता है जब तक कि इसे अंततः उपभोग नहीं किया जाता है, जानवरों के चारे के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, कच्चे माल में संसाधित किया जाता है, या तैयार माल में निर्मित नहीं किया जाता है। डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रक्रिया तीन प्राथमिक प्रकार के कार्यों का उपयोग करके की गई: कृषि, पशुधन और घरेलू गतिविधियाँ। ये वो गतिविधियां हैं जिनमें महिलाएं सबसे ज्यादा संलग्न रहती हैं। निम्नलिखित भागों में प्रस्तुत और चर्चा किए गए परिणाम प्राप्त किए गए हैं।

कुल महिला कार्यकर्ता

वर्ष 2011 के लिए, ग्राफ राजस्थान राज्य में कुल महिला श्रम बल भागीदारी दर का एक उदाहरण है। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, राजस्थान के मेवाड़ जिले में मुख्य श्रम भागीदारी दर सबसे अधिक है, जबकि राजस्थान के सीकर, जयपुर और अजमेर जिलों में कार्य भागीदारी दर सबसे कम है। जहां तक राजस्थान के पश्चिमी भाग का सवाल है, श्रमिक संलग्नता का अनुपात कहीं बीच में है। राजस्थान राज्य में, डूंगरपुर जिले में महिला प्राथमिक कार्यकर्ता भागीदारी की दर सबसे कम है, इस तथ्य के बावजूद कि मेवाड़ क्षेत्र और जालोर जिले में महिला कार्यकर्ता भागीदारी दर सबसे अधिक है। दूसरी ओर, मारवाड़ क्षेत्र और मध्य राजस्थान क्षेत्र में महिला प्राथमिक श्रमिकों का प्रतिशत सबसे कम है, जो कुल मिलाकर कार्यरत हैं। जबकि डूंगरपुर और बांसवा जिले में सीमांत महिला कार्यकर्ता भागीदारी की दर सबसे अधिक है, अजमेर और जयपुर में भी सीमांत महिला कार्यकर्ता भागीदारी की दर सबसे कम है। राजस्थान के मध्य पश्चिमी क्षेत्र में, सक्रिय रूप से अपनी नौकरियों में लगी महिला श्रमिकों का प्रतिशत कुल मिलाकर कम है।

महिला ग्रामीण कार्यकर्ता

राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं की श्रम भागीदारी दर चित्र 2 में दिखाई गई है, जिसे यहां पाया जा सकता है। आप मानचित्र को देखकर 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों, प्राथमिक श्रमिकों और सीमांत श्रमिकों की कुल संख्या की जांच कर सकते हैं। इस डेटा के अनुसार, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवा जिलों में कार्यबल में कार्यरत ग्रामीण व्यक्तियों का अनुपात सबसे अधिक है। राजस्थान राज्य में, सीकर, सिरोही और पाली जिलों में श्रम बल में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम है।

टोंक, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में ग्रामीण महिलाओं की एक बड़ी आबादी रहती है जो काम से संबंधित पदों पर कार्यरत हैं। दूसरी ओर, जैसलमेर, धौलपुर और डूंगरपुर जिलों में कार्यबल में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है। धौलपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले सीमांत श्रमिकों की श्रेणी में आने वाले

मजदूरों की एक बड़ी आबादी का घर हैं। दूसरी ओर, राजस्थान के दौसा, चित्तौड़गढ़ और जयपुर जिलों में श्रमिक आबादी सबसे कम है।

तालिका:1 व्यक्तिगत श्रम बल भागीदारी के लिए राजस्थान का विषम अनुपात

	(I)	(2)	(3)
चर	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण+शहरी
आई.एफ.पी.आर			
परिवार का आकार	0.681"s	0.708*"	0.702"•
शिक्षा में वर्ष	0.966*"	1.048*"	0.985"•
नौकरियों की संख्या	3.699•••	3.552***	3.401"•
40-80/0-40 प्रतिशत	0.911	0.944	0.924
शीर्ष 20/0-40 प्रतिशतक	1.122	1.013	1.130
30-44/15-29 आयु	6.181•••	4.535*"	4.855*"
45-64/15-29 आयु	2.306"•	1.590[41]"	1.875"•
विवाहित/अविवाहित	14.467*"	5.536"	9.925•••
विधवा/अविवाहित	8.230"	10.581m	8.636n•
()बीसी/एससीएसटी	0.828"	0.652"	0.770"
जनरल/एससीएसटी	0.681"	0.538[41]"	0.648"
पुरुष स्त्री	0.055"	0.023"	0.040"
शहरी ग्रामीण			0.754"
स्थिर	0.435*"	0.627*"	0.709"
टिप्पणियों	8,329	5,478	13,807

निष्कर्ष

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति के लिए ग्रामीण महिलाओं के प्रयासों पर काफी निर्भरता है। समाज के सभी पहलुओं में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन और शासन की स्थापना के साथ-साथ सतत विकास की उपलब्धि के लिए राजनीतिक पदों पर महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। हालाँकि पंचायती राज संस्थाओं, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संबंधित संस्थानों ने महिला आरक्षण के ढांचे के भीतर महिलाओं को सशक्त बनाने में लाभ हासिल किया है, लेकिन एकमात्र चीज जो उनके मुद्दों को हल करने में सार्थक भूमिका निभा सकती है, वह है महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। ग्रामीण महिलाएं अपने सामने आने वाली बाधाओं और दायित्वों के बावजूद सत्ता के विकेंद्रीकरण में प्रमुख स्थान के लिए लगातार काम कर रही हैं।

पंचायती राज व्यवस्था में उनकी भागीदारी के परिणामस्वरूप ग्रामीण महिलाओं को निर्णय लेने, विकास और लोकतांत्रिक गठबंधन को मजबूत करने में भाग लेने का अवसर दिया गया है।

संदर्भ

1. सिंह, आजाद और बेदी जे.एस.. "कामकाजी उम्र के लिए एलएफपीआर में लैंगिक असमानताएं" इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड साइंस (आईआरजेएमईटीएस) खंड 04. अंक 05 (2022): 4031-4038।

2. मिनसर, जैकब। "मानव पूंजी और व्यक्तिगत आय वितरण में निवेश।" जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल इकोनॉमी 66, नं. 4 (1958): 281-302.

3. ग्रैप्रागासेम, सेल्वराज, अंबलगन कृष्णन, और अज़लिननोरहैनीमन्सोर। "मलेशियाई उच्च शिक्षा में वर्तमान रुझान और शिक्षा नीति और अभ्यास पर प्रभाव: एक सिंहावलोकन।" उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल 3, सं. 1 (2014): 85-93.

4. सिंह, पुनम, और आर.के. मिश्रा। "प्रदर्शन-संबंधित वेतन धारणा के निर्धारक और प्रभाव।" मुआवज़ा एवं लाभ समीक्षा 48, संख्या. 3-4 (2016): 66-80।

5. गैहा, आर., और वी.एस. कुलकर्णी। "कुपोषण का दोहरा बोझ।" भारत में महिलाओं के बीच अल्पपोषण और अधिक वजन के सह-अस्तित्व की पुनः जांच। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ सर्विसेज 47, संख्या। 1 (2017): 108-133।

6. मुखोपाध्याय, उज्जयिनी। "आर्थिक उदारीकरण और श्रम बाजार में लैंगिक असमानता: एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण।" शहरी एवं क्षेत्रीय विकास अध्ययन की समीक्षा 27, सं. 1 (2015): 68-87.

7. महापात्र, कमला कांता। "भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में महिला श्रमिक: व्यावसायिक भेद्यता को समझना।" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस 2, संख्या। 21 (2012): 197-207.

8. ड्रेज़, जीन, और रीतिकाखेड़ा। "बीपीएल जनगणना और एक संभावित विकल्प।" इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (2010): 54-63।

9. माथुर, मुकेश और जैन पूजा, "महिलाओं के आर्थिक उत्थान में बैंकों की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन", सामाजिक अनुसंधान, खंड: 5, 2009

10. सौम्या, दीवान, "भारत में महिलाओं की स्थिति", शोधक, खंड: XII, 2018।

11. कमलेश, "राजस्थान में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति", पीएच.डी. थीसिस, जे.आर.एन.आर.वी.यू. 2016.

12. देवयानी, "महिलाओं के विकास में शिक्षा की भूमिका", सामाजिक अनुसंधान, खंड-XIII, 2018।

13. रोमी, ''राजस्थान में महिलाओं की स्थिति'', एम.पी.आई.जे.आर. , खंड II, 2017।

14. वाई. अर्जुन, "पंचायती राज में नेतृत्व", पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1979, पृष्ठ-23•

15. नारायण, इकबाल, : राजस्थान में पंचायती राज प्रशासन, मैसर्स लक्ष्मी नारायण, आगरा, 1973, पृष्ठ। 112

16. ए.के. मिश्रा (एट ऑल), ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका (उत्तर प्रदेश का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन), मैनेजमेंट इनसाइट, वॉल्यूम। 7, क्रमांक 1, 2011, पृ. 51

17. श्रीवास्तव, अलका (2006)। आगे एक लंबी यात्रा। (पंचायती राज में महिलाएं), राजस्थान में एक अध्ययन, नई दिल्ली: भारतीय सामाजिक संस्थान, पी। 67

18. डे, एस.के., "पंचायती राज: ए सिंथेसिस" एशिया पब्लिशिंग हाउस, लंदन, 1961, पृष्ठ-99

19. डॉ. प्रणब कुमार राणा, सामाजिक न्याय, पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण, ओडिशा समीक्षा, फरवरी-मार्च, 2012

20. शिवरामु, के. (1997)। पंचायती राज व्यवस्था में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एमडी प्रकाशन, दिल्ली पी. 96

21. कटार सिंह. (2009), ग्रामीण विकास: सिद्धांत, नीतियां और प्रबंधन, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 121-123

22. श्वेता मिश्रा. (1994), भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मित्तल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 96